

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

सि० न० 396 / 2025

1. रामगोपाल पुत्र महावीर } जाति जाट निवासीयान बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
2. कौशल्या पत्नी जसवंत }

वादीगण

बनाम्

1. जसवंत पुत्र महावीर जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।



प्रतिवादीगण

दिनांक 29/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनेलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क.वादी सं० 1 रामगोपाल को प्राप्त आराजी- चक नं० 1 एफ.टी.पी.बी. के पं० न० 205 / 231 मु० 1 किलानं० 11/1/.222, 12/1/.221, 13/3/.022, 18/2/.022, 19/.253, 20/1/.228, 20/2/.025 वव, 22/.253, 23/2/.023, 205/232 मु० 19 किलानं० 2/.253, 3/2/.023, 8/2/.023, 9/.251 है०

चकनं० 2 एम. के. एस बी के प० न० 208 / 230 मु० 39 किलानं० 19/.091, 21/1/.240, 22/2/.240

ख. वादीया सं० 2 कौशल्या को प्राप्त आराजी - चकनं० 1 एफटीपी बी के पं० न० 205/232 मु० 19 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 गै० मु० रास्ता, 9/.002 दक्षिणी-पश्चिमी कॉर्नर, 10/1/.133 पूर्वी दिशा, 10/1/.019 है० रास्ता दक्षिणी दिशा, 10/2/.025 है० रास्ता, 12, 13, 18/1/.177 है०, 18/2/.076, 19/1/.177, 19/2/.076, प० न० 205/231 मु० 1 किलानं० 21/1 / .228, 21/2/.025 है० रास्ता

ग. प्रतिवादी सं० 1 जसवन्त को प्राप्त आराजी- चक नं० 2 एम. के. एस बी के पं० न० 208 / 230 मु० 39 किलानं० 2 / .253. 3/1/.013, 9/.253, 12/.253, 19/.162, उत्तरी

दिशा 20 / .253

घ. प्रतिवादी सं० 2 जसविन्द्र सिंह चक नं० 1 एफटीपी बी के पवनं० 205/232 मु० 19 किलानं० 10/1/.076 पश्चिमी दिशा आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर

चक नं० 2 एम. के. एस. बी. के खाता सं० 177/78 में से रामगोपाल का हिस्सा कम  
चकनं० 1 एफटीपी बी के खाता सं० 44/34 में से जसवन्त कुमार का नाम कलमजन,  
चकनं० 1 एफटीपी बी के खाता सं० 113/93 में से रामगोपाल का नाम कलमजन, इसी  
चकनं० 1 एफटीपी बी के खाता सं० 45/36 में से जसवन्त का हिस्सा कम किये जाने  
के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर  
रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व  
टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने  
के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय  
का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा  
उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.9.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से  
जारी की गई।



28  
उपखण्ड (सुत्यन्तारायण) (A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।